संख्या-1992 /चार-2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 16 जून, 2023

विषय: प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना के संबंध में मार्ग निर्देशिका।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुसार भारतीय कलाओं, भाषाओं एवं संस्कृति को बचाए रखना व बढ़ावा देना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश का सौन्दर्य इसके लोगों की विविधता में निहित है और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस विविधता को समझाने का आधार देती है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का विकास, संरक्षण, शैक्षणिक प्रचार-प्रसार व प्रोत्साहन प्रदान करने व इससे हमारी युवा पीढ़ी को जोड़े रखने की दिशा में अति आवश्यक है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना उल्लिखित समस्त उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति का एक सत्प्रयास है ।

2. 'कल्चरल क्लब' का लक्ष्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और रूचियों के युवाओं को एक मंच पर लाना और उन्हें हर व्यक्ति के साथ दीर्घकालिक पारस्परिक संबंध बनाने और सम्मान को विकसित करने में मदद करना है। कल्चरल क्लब छात्रों को हमारे देश के समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओं के सम्पर्क में रहने में मदद करता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रतिभागियों को अपने कौशल को निखारने, उनके आत्मविश्वास उन्नयन करने, एक अच्छी टीम सृजित करने अपने समय प्रबंधन और संगठनात्मक कौशल में सुधार करने, आत्म- जागरूकता और आत्म-अनुशासन को बढ़ाने, सीमाओं से परे सोचने और नए और अभिनव विचार विकसित करने के लिए एक नया मंच प्रदान करती हैं जिसके परिणामस्वरूप कल के योग्य युवा का निर्माण संभव होता है।

3. चूँकि 'कल्चरल क्लब' छात्रों का छात्रों के लिये, छात्रों के द्वारा संचालित है, अत: इसकी व्यापकता के दृष्टिकोण से पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 356 / चार -2021 दिनांक 24 फरवरी, 2021 को एतद्द्वारा अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के अधिकाधिक युवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 'कल्चरल क्लब की स्थापना हेतु' निम्नानुसार दिशा -निर्देश निर्गत किये जाते हैं-

(1) कल्चरल क्लब की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के वे सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय अर्ह होंगे जिनमें कल्चरल क्लब की स्थापना इस शासनादेशानुसार की जायेगी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु भातखण्डे संस्कृति विश्विद्यालय, लखनऊ द्वारा, प्रतिवर्ष प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों से विज्ञापन एवं पत्राचार द्वारा, प्रविष्टि / प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) प्राप्त प्रविष्टियों एवं प्रस्तावों का शासन स्तर पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 30 महाविद्यालयों का चयन, एक वित्तीय वर्ष में, किया जायेगा।

(4) 'भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ', व इससे सम्बद्ध विभिन्न अकादमी एवं संस्थानों तथा संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, द्वारा कल्चरल क्लब के माध्यम से महाविद्यालयों में "प्रशिक्षण कार्यशालाओं" का आयोजन किया जायेगा।

(5) प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' आयोजित किया जायेगा तथा वर्ष में एक बार 'वार्षिकोत्सव' का आयोजन किया जायेगा | इस हेतु अपेक्षा किये जाने पर संस्कृति विभाग द्वारा कलाकार भी दिए जायेंगे। आयोजित किये जाने वाले इन कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार एवं उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदर्शिनी व व्याख्यान भी आयोजित कराये जा सकेंगे।

(6) आयोजित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों का अनिवार्य रूप से अभिलेखीकरण भी कराया जायेगा|

(7) महाविद्यालयों में कल्चरल क्लब के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में संस्कृति विभाग अपने सांस्कृतिक दल की प्रस्तुतियाँ भी करा सकेगा ।

(8) कल्चरल क्लब के सदस्य छात्र-छात्राएँ अपने जनपद में संस्कृति विभाग के आयोजन में वालंटियर के रूप में भी कार्य कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार राशि / मानदेय भी प्रदान किया जायेगा।

1- कल्चरल क्लब' का लक्ष्य व उद्देश्यः-

कल्चरल क्लब की स्थापना का उद्देश्य अपने रीति-रिवाज, कानून, पोशाक, स्थापत्य शैली, सामाजिक मानक और परम्पराओं को युवाओं के माध्यम से निम्नानुसार संरक्षित कराना है -

(1) अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए संगठित व प्रेरित करना |

(2) अपनी कला व संस्कृति के प्रति जाग्रत व संवेदनशील बनाना |

(3) अपनी परम्पराओं की निरन्तरता के प्रति सम्मान, सराहना एवं आदर भाव विकसित करना |

(4) आज के युवाओं को संस्कृति की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सशक्त कर उन्हें हमारी धरोहर का संरक्षक बनाना |

(5) विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में पारस्परिक सम्मान विकसित करने और सदभाव से रहने की भावना जागृत करना ।

2- कल्चरल क्लब की गतिविधियाँ :-

1. प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में 'कल्चर क्लब' की स्थापना करना अनिवार्य है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की रूचि, दक्षता, क्षमता के आधार पर भागीदारी आवश्यक है।
2. प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में सम्पूर्ण वर्ष के उद्देश्य व सम्पादित किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों का 'वार्षिक कैलेन्डर' (01 अपैल से 31 मार्च) बनाया जायेगा; उसके संचालन का दायित्व 'कल्चर क्लब इन्चार्ज' को सौंपा जाएगा। 'कल्चर क्लब इन्चार्ज' द्वारा 'वार्षिक कैलेन्डर' में निर्धारित उद्देश्यों को ससमय पूरा किया जाना सुनिश्चित जाएगा।
3. महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न टीमों को तैयार कर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. 'कल्चर क्लब इन्चार्ज एवं कल्चरल क्लब के प्रभारियों' के नाम बोर्ड पर लिखकर डिस्पले किए जाएँगे।
5. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स व आर्ट मेटीरियल की खरीद के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा।
6. 'कल्चरल क्लब इन्चार्ज' समय - समय पर ट्रेनिंग व सेमिनार में भाग लेंगे |

3 - 'कल्चरल क्लब' के संघटक –

(1) 'कल्चरल क्लब' में एक शिक्षक - प्रभारी और एक अन्य सहायक-शिक्षक / सह- शिक्षक होगा ताकि किसी एक की अनुपस्थिति में भी क्लब की गतिविधियों लगातार चलती रहें ।

शिक्षक - प्रभारी या सह-शिक्षक के स्थानान्तरण अथवा उनकी सेवानिवृत होने की स्थिति में प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक को सूचित करते हुए उनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति करेंगे ।

(2) न्यूनतम 20 व अधिकतम 35 छात्र मिलकर 'कल्चरल क्लब' का गठन कर सकते हैं।

(3) 'कल्चरल क्लब' हेतु शिक्षकों एवं छात्रों का चुनाव कोई भी शिक्षक / छात्र, जो क्लब की गतिविधियों में भाग लेने को उत्साहित हो, कर सकता है। छात्रों के पूर्ववृत्त की जानकारी लेने के उपरान्त शिक्षक अपने विवेक के अनुरूप निर्णय लेकर छात्रों का चयन कर सकते हैं ।

4- कल्चरल क्लब की पहचान-

(1) 'कल्चरल क्लब' की प्रथम बैठक द्वारा क्लब-विशेष के नाम का चयन हो जाना चाहिये | क्लब का नाम किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध न होकर क्षेत्र-विशेष को प्रतिबिंबित करने वाला होना चहिये अथवा किसी महान नेता (मरणोपरान्त) प्रसिद्ध साहित्यकार / कलाकार के नाम से जुड़ा होना चाहिए। क्लब का नाम अन्तिम करने से पूर्व ' भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ' 'की लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा |

(2) 'कल्चरल क्लब' का अपना लोगो / प्रतीक चिह्न होगा जो विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता द्वारा अभिनिर्धारित किया जायेगा। जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थान के क्लब के बैज / बुलेटिन बोर्ड / स्टेशनरी फोटो एवं सीडी इत्यादि पर होगा |

(3) कल्चरल क्लब के सदस्य अपना 'क्लब गीत' एवं 'विशेष प्रतिज्ञा' विरचित करेंगे जिसे प्रत्येक अवसर पर,क्रमशः, गाया और पढ़ा जायेगा |

5- कल्चरल क्लब का प्रबंधन -

(1) प्रधानाध्यापक "मुख्य संरक्षक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और क्लब का मार्गदर्शन करेंगे।

(2) शिक्षक प्रभारी और सह-शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए समन्वयकों के रूप में कार्य करेंगे। क्लब के सदस्यों में से निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव / चयन किया जायेगा -

(क) **कल्चर क्लब इन्चार्ज** - बैठकें बुलाना और आयोजित करना ।
(ख) **सचिव** - बैठकों के कार्यवृत्त रिकॉर्ड का रखरखाव करना |
(ग) **कोषाध्यक्ष** - लेखा दस्तावेजों का रिकार्ड रखना ।
(घ) **समन्वयक** - सामग्री / उपकरण इत्यादि का रखरखाव |

6-कल्चरल क्लब की गतिविधियों / बैठकों के लिये निर्धारित समय-

एक सप्ताह में न्यूनतम दो पीरियड जो शून्य -काल / खाली पीरियड/ प्रात:कालीन सभा समय / स्कूल के बाद / समाजोपयोगी उत्पादक कार्य / कार्यानुभव/ कला / शिल्प पीरियड हो सकते हैं।

7- सांस्कृतिक क्लब के लिये निधि और लेखा समायोजन

(1) प्रारम्भ में शासन द्वारा एक शैक्षिक सत्र (वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च) हेतु रुपये 25000 /- की वित्तीय सहायता चयनित महाविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(2) सांस्कृतिक क्लब की गतिविधियों के सफल संचालन की स्थिति में अगले चार वर्षों के लिये प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में रुपये 20,000/- की वार्षिक अनुदान राशि जारी की जायेगी। महाविद्यालय में सांस्कृतिक क्लब की योजना के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट सम्बन्धित क्लब द्वारा भेजा जाना आवश्यक होगा।

(3) अनुवर्ती वर्षों में अनुदान प्राप्त करने के लिये सांस्कृतिक क्लब की विस्तृत छमाही रिपोर्ट (यथासंभव ई - मेल द्वारा) शासन को उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक भेजनी होगी। छमाही रिपोर्ट हेतु संस्कृति विभाग की वेबसाइट (https://upculture.up.nic.in) पर 'डाउनलोड फार्मस' उपलब्ध हैं।

(4) तीन वर्षों के पश्चात् सांस्कृतिक क्लब की गतिविधियों की समीक्षा एक समन्वयक अथवा नोडल समिति द्वारा की जायेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी अनुदान जारी करने पर विचार किया जायेगा |

(5) सामान्यतः प्रत्येक वित्त वर्ष के अप्रैल माह में उस वर्ष हेतु वित्तीय सहायता राशि जारी की जायेगी जिसका लेखा-जोखा आगामी वर्ष 31 मार्च तक प्रतिवर्ष, बिना किसी चूक के, शिक्षक प्रभारी,

शिक्षक और प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के रूप में 'भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय' के माध्यम से शासन के **संस्कृति विभाग** को भेजा जायेगा ।

8 - वार्षिक अनुदान राशि के खर्च हेतु बजट मदें -

(1) कलाकारों / व्याख्याताओं / प्रयोगात्मक सत्र हेतु रुपये 500/- की दर से मानदेय 3 से 4 विशेषज्ञों को देय होगा।
(2) स्टेशनरी सामग्री,
(3) सांस्कृतिक क्लब की गतिविधियों बुलेटिन बोर्ड / नोटिस बोर्ड बैनर / सांस्कृतिक क्लब बोर्ड नाम एवं प्रतीक चिह्न हेतु;
(4) बैजेज / पैम्पलेट्स (रूल शीट्स सांस्कृतिक क्लब के प्रतीक चिहन सहित),
(5) फोटोग्राफ्स,
(6) विविध प्रतियोगिताओं, पदयात्रा - अभियान हेतु पुरस्कार, जैसे प्रकृति / संस्कृति पर समर्पित लघु पुस्तिकाएं पोस्टर / पर्यावरणीय गतिविधि इत्यादि।
(7) अन्य प्रासंगिक व्यय, जिसका समुचित औचित्य दर्शित किया गया हो, अधिकतम रुपये 1000/- की सीमा तक।

9 - अनुदान राशि को निम्न हेतु उपयोग नहीं करें-

(1) शैक्षिक भ्रमण हेतु,
(2) लेमिनेशन हेतु ,
(3) साज-सामान किराये पर लेने अथवा खरीदने हेतु (जैसे वस्त्राभूषण. शामियाना, फर्नीचर, इत्यादि),
(4) बस / टैक्सी / वाहन / संगीत वाद्य / उपकरण. इत्यादि किराये पर लेने हेतु,
(5) शिक्षक / शिक्षिकाओं के मानदेय हेतु,
(6) किसी भी प्रकार के जलपान / अल्पाहार हेतु ,
(7) फूलों का गुलदस्ता / गुच्छा कय करने हेतु,
(8) वीडियोग्राफी / पी. ए. सिस्टम,
(9) उपहार (मेहमानों हेतु)।

10- क्लब की गतिविधियाँ/ सदस्यों के कार्यः-

कल्चरल क्लब के सभी सदस्यों से निम्नलिखित कार्य अपेक्षित होगें।

(1) सांस्कृतिक क्लब की सभी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना ।
(2) क्लब की बैठकों के दौरान अन्य विद्यालयों / पड़ोसी समुदाय के साथ विचारों / सूचनाओं / जानकारियों / स्रोतों एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करना ।
(3) संस्कृति के संरक्षण / संचरण की दिशा में अभियान / पद-यात्रा / धरोहर अथवा विरासत भ्रमण / सांस्कृतिक कार्यक्रम / कार्ययोजना बनाकर आयोजित करना ।
(4) सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दिवसों को उत्साहपूर्वक मनाना जैसे त्यौहार / उत्सव / मेले / हाट / अन्य कोई विशेष पर्व आदि ।
(5) क्लब की बैठकों एवं गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करना और उसे स्कूल के शेष छात्रों एवं अन्य लोगों के मध्य जानकारी हेतु संचारित करना एवं सुझाव लेना ।

11 - कल्चरल क्लब की गतिविधियों से सम्बंधित अन्य कार्यः

1- भारत के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन ।
2 - प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान / वार्ता का आयोजन।
3 - स्थानीय धरोहर के अध्ययन पर प्रोजेक्ट कार्य ।
4- अन्य महाविद्यालयों के छात्रों तथा समुदाय के लिये श्रव्य-दृश्य कार्य आयोजित करना।
5- प्राकृतिक विरासत (वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्यक मौखिक एवं लिखित साहित्य इत्यादि) पर परियोजनाएँ तैयार करना ।
6 - स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन।

7- अध्ययन एवं शोध के उद्देश्य से स्थानीय स्मारकों के भ्रमण।
8 - क्षेत्रीय कलाकारों और विद्वानों से साक्षात्कार।
9 - पारम्परिक हस्तशिल्प का अध्ययन व प्रयोगात्मक कौशल का विकास।
10- स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शन (मिट्टी का कार्य, बाँस शिल्प, कपड़ा बुनाई, भित्ति चित्रण, जिल्दसाजी इत्यादि)।
11- विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के गीत, लोकगीत, नृत्य, इत्यादि को सीखना व उनका प्रदर्शन।
12-भारत की नैसर्गिक एवं सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित विषयों पर वाद- विवाद एवं भारत के इतिहास, कला तथा अन्य क्षेत्रों में योगदान पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन।
13- सांस्कृतिक विषयवस्तु पर प्रदर्शनी लगाना।
14- महाविद्यालय के निकट संरक्षण प्रोजेक्ट, स्मारकों का अधिग्रहण, पुरातत्व विभाग की इमारतों का अध्ययन एवं सर्वेक्षण, स्मारकों की सफाई, सूचना पट्ट तैयार करना, पर्यटकों को जानकारी व निर्देशन देना।
15- विद्यालय परिसर को सुन्दर बनाने के लिये प्रोजेक्ट, पौधरोपण उद्यान, पुष्प पंक्ति एवं पौधों का संरक्षण।
16 - विद्यालय परिसर को रंगोली, कोलम अथवा अल्पना जैसे कम खर्च वाली कलाओं से सजाना।
17 - सांस्कृतिक सूचना पट्ट तैयार करना तथा उसकी देखभाल ।
18 - ज्वलन्त सामाजिक मुद्दों पर पदयात्रा निकालना ।
19- विशेष चुनौती वाले तथा अधिकार वंचित बच्चों को आमंत्रित करना तथा उनके साथ कार्य करना ।
20 - बच्चों एवं युवा वर्ग से संबंधित पुस्तकों / लेखों की प्रदर्शनी (स्थानीय प्रकाशकों की)।

12- सांस्कृतिक गतिविधियां-

सांस्कृतिक गतिविधियाँ निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती हैं -
स्थानीय त्यौहार / उत्सव, दान के लिए किया गया कार्यक्रम , परेड, खेल की घटनाएँ, नृत्य और संगीत प्रतियोगिताएँ, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, बहस और भाषण, प्रदर्शनी और कार्यशाला / गायन प्रतियोगिता, शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता, फ्यूजन डांस प्रतियोगिता, रंग मंच "स्किट" सिज़िटो- विचारों की लड़ाई (बहस), एक मिनट रुकिए, कलर-ओ-मेट (फेस पेंटिंग), व्यापार की योजना।

13- प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कल्चरल क्लब की स्थापना हेतु 'भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ' के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों / प्रविष्टियों के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1- प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3- निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज	सदस्य
4- निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ	सदस्य
5- निदेशक, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
6- निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ	सदस्य
7- कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्विद्यालय, लखनऊ	सदस्य
8- संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की अकादमी / संस्थानों के दो पदाधिकारी (शासन द्वारा नामित)	सदस्य
9- शासन द्वारा नामित दो विशेषज्ञ	सदस्य

14- अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

14/06/23

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा प्रयागराज को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्य एवं दायित्व निर्धारित करेंगे कि वे अपने परिक्षेत्र के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कल्चरल क्लब की स्थापना व उसकी गतिविधियों के सम्पादन व पर्यवेक्षण का कार्य देखेंगे।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
8. कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्विद्यालय, लखनऊ।
9. संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश की समस्त अकादमी/संस्थान (द्वारा- निदेशक संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश)
10. गार्ड फाइल।

07/06/2023

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव